Sahara Samay, New Delhi, October 29, 2005

मैग्नेसाइट से तबाह समाज

महेश जोशी

नौकरी और स्थानीय विकास की आस में गौचर, पनघट की पुश्तैनी भूमि खुशी-खुशी मैग्नेसाइट कंपनियों को सौंप देने वाले पिथौरागढ़ जिले के चंडाक, मोस्टामानू, सिकडानी, धारी और ढूंगा के ग्रामीणों की आंखों में सपनों के बिखर जाने का दर्द साफ पढ़ा जा सकता है। २७ साल बाद आज इन लोगों के पास न मैग्नेसाइट कंपनियों द्वारा दी गयी नौकरी ही बची है और न उनकी गौचर पनघट की पुश्तैनी भूमि का कोई उपयोग संभव है। नौकरी में रहे ६०० लोगों का पुनर्वास का इंतजाम दूर रहा कंपनियों ने उनकी गाढ़ी मेहनत का ढाई करोड़ रुपया भी डकार लिया। उल्लेखनीय बात यह है कि कंपनियों के मालिकों की नीयत के अलावा यह सब नब्बे के दशक में अपनायी गयी भूमंडलीकरण की उस व्यवस्था के परिणामस्वरूप हुआ जिसमें आयात शुल्क में की गयी भारी कमी के कारण यहां उत्पादित डी.बी.एम. (डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट) चीन और कोरिया के माल से मुकाबला हार गया। यहां उत्पादित माल की तुलना में चीन और कोरिया से आयातित डी.बी.एम. न केवल सस्ता था बल्कि शुद्धता में भी आगे था। इसलिए भारतीय इस्पात कंपनियों ने उसे हाथों-हाथ लिया और यहां के डी.बी.एम. को खरीददार मिलने बंद हो गये। उत्पादन लागत में कटौती कर मुकाबले में बने रहने के प्रयास भी जब असफल हो गये तो मालिकों ने फैक्ट्रियों पर ताला जड़ दिया।

अपनी स्थापना के लगभग बीस साल तक चंडाक मैग्नेसाइट लिमिटेड सुचारु रूप से चलती रही। इस अवधि में कंपनी ने पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर मिलने वाली ७५ प्रतिशत ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के अलावा वे सभी लाभ प्राप्त किए जो इन क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए सरकार ने घोषित किये थे। बीस साल बाद जब कंपनी को अपने दम पर चलाया जाना था तो तालाबंदी कर मालिक उद्योगपति जे.के. झुनझुनवाला तो अपना ताम-झाम समेट कर चलते बने लेकिन उन सैकड़ों मजदूरों और कर्मचारियों को रोजी-रोटी के लाले पड़ गये जो इन फैक्ट्रियों पर निर्भर हो गये थे। कभी फैक्ट्री के मजदूरों से रात-दिन गुलजार रहने वाले चंडाक के बाजार में तालाबंदी के सात साल बाद आज सन्नाटा पसरा हुआ है। फैक्ट्री के खनन क्षेत्र के ऊपर बसे सिकडानी गांव में सिर्फ बेरोजगारों की फौज नजर आती है। फैक्ट्री की धूल से अटे खेत अनाज का एक भी दाना उगाने लायक नहीं रहे। पशुपालन से मदद मिल सकती थी लेकिन पशुओं का चारागाह बेतरतीब खनन के कारण घासविहीन चट्टानों में बदल चुका है। कंपनी द्वारा उडाई गयी धूल से बीमार पड़े लोग किसी तरह इलाज करा रहे हैं। विस्फोटों से छीज गये जलस्रोत अब पुनर्जीवित नहीं हो सकते। कभी प्राकृतिक स्रोतों के पानी पर निर्भर ग्रामीण आज नल के कभी-कभार आने वाले पानी के मोहताज बने हुए हैं।

सिकडानी गांव के निवासी जीवन सिंह का कहना है, 'फैक्ट्री बंद

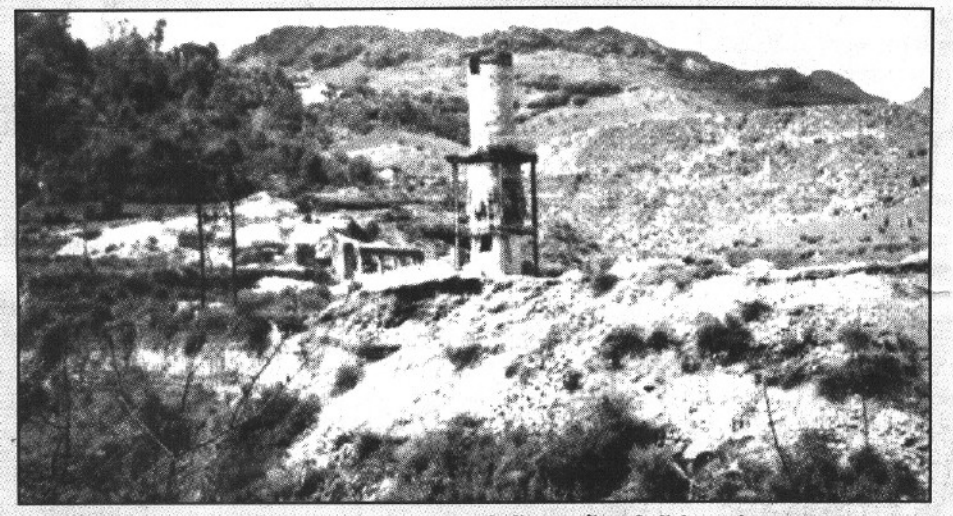

तामझाम समेट कर भागे मालिक (ऊपर) तथा इस मलबे में दफन हैं ग्रामीणों के सपने

हो जाने से परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य (भाई) तो बेरोजगार हुआ ही, फैक्ट्री की धूल से पटे खेत भी बंजर हो गये हैं।' १९९८ में फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद चंडाक का बाजार सूना हो जाने से वहां के दो दर्जन दुकानदार बेरोजगार हो गये हैं। चंडाक जैसे ही हालात तड़ीगांव क्षेत्र के भी हैं। वहां १९९६ से पहले उद्योगपति खेतान ने ग्रामीणों को रोजगार देने का वायदा कर मैग्नेसाइट कंपनी संचालित की थी। इस कंपनी ने मैग्नेसाइट के खनन के लिए ३६० हैक्टेयर भूमि १९७६ में बीस वर्ष की लीज पर ली थी। बाद में कंपनी ने लीज की अवधि दस वर्ष बढ़ाई लेकिन लीज अवधि समाप्त होने से पहले ही कंपनी ने काम समेट लिया। चंडाक की अपेक्षा तड़ीगांव का क्षेत्र उपजाऊ है, इसलिए ग्रामीण अब भी किसी तरह खेती-बाड़ी में लगे हुए हैं। गांव के एक युवक देवेंद्र सिंह बोरा का कहना है कि 'फैक्ट्री शुरू होने से पहले गांव की सारी भूमि सिंचित और उपजाऊ थी। मैग्नेसाइंट के खनन के लिए किये गये विस्फोटों के कारण जलस्रोत सूख गये, साथ ही खेतों की उपजाऊ क्षमता घट कर न्यून रह गयी। करीब १५ हैक्टेयर गौचर और वन पंचायत की भूमि में कंपनी ने खनन कर बड़े-बड़े गड्ढे बना दिये। उन्हें भरा नहीं गया इसलिए अब उस क्षेत्र में घास तक नहीं उगती।' उनका यह भी कहना है कि संयंत्रों द्वारा उड़ाई गयी धूल का प्रभाव अब भी गांव में बना हुआ है। धूलयुक्त घास चरने के कारण पशु अतिसार जैसे रोगों की चपेट में आ रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी से एक आधा-अधूरा फायदा यह हुआ कि उसके द्वारा अपने उपयोग के लिए निर्मित सड़क अब ग्रामीणों के काम आ रही है। लेकिन लोक निर्माण विभाग अब इस सड़क का रखरखाव और मरम्मत करने से इनकार कर रहा है। तड़ीगांव के अलावा घुनसेरा, पुनेड़ी, सिलपाटा व मड़ गांवों के सैंकड़ों लोग फैक्ट्री बंद हो जाने के साथ ही बेरोजगार हो गये। उनमें से कुछ ने अपने रोजगार का क्षेत्र बदल लिया लेकिन ज्यादातर को कोई दूसरा काम नहीं मिल सका है। कंपनी के बंद होने के लिए स्थानीय लोग प्रबंध तंत्र को जिम्मेदार बताते हैं। कंपनी के भूवैज्ञानिक रहे धीरेंद्र जोशी का कहना है कि प्रबंध तंत्र ने खनन आदि में पर्यावरण कानूनों का तो उल्लंघन किया ही, खरीद-फरोख्त आदि कार्यों में अपने ही मालिकों को भी जम कर चूना लगाया। जोशी कहते हैं, 'हमने रोजगार की आस में अपने बेशकीमती बांज वनों वाली पंचायती भूमि कंपनी को सौंपी थी लेकिन आज न रोजगार रहा और न कृषि तथा पशुपालन आधारित ग्रामीण जीवन के आधार वन ही बचे रह सके।

रोजगार की आस में खुशी-खुशी अपनी पुश्तैनी जमीन, पनघट-गौचर मैग्नेसाइट कंपनियों को सौंपने वाले लोग आज पछता रहे हैं। कंपनियां तो अपना मुनाफा समेट कर चलती बनीं लेकिन अब उन्हें जिंदगी भर के लिए पछताने को छोड़ गयी हैं

मैग्नेसाइट कंपनियों की इन असफल कहानियों में बागेश्वर जिले के झिरौली में संचालित की जा रही फैक्ट्री जरूर अपवाद है लेकिन वह भी अपने उत्पादन के बल पर नहीं, सरकारी मदद और बैंकों के कर्ज से संचालित हो रही है। सरकारी स्वामित्व की कंपनी होने के कारण यहां काम कर रहे कर्मचारियों को निकाल बाहर करना प्रबंधन के लिए आसान नहीं है। इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए कंपनी मैग्नेसाइट के स्थान पर अब खड़िया पर हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। मैग्नेसाइट कंपनियों की असफलताओं ने चंडाक और तड़ीगांव क्षेत्र के लोगों को तो कहीं का नहीं छोड़ा लेकिन इनसे अस्कोट जैसे क्षेत्र के लोगों ने सबक जरूर लिया है जहां ग्रामीणों को ऐसे ही सपने दिखा कर कनाडा की बहुराष्ट्रीय कंपनी 'पिबल क्रिक' एस्कॉट अवयव के दोहन के लिए खनन शुरू करने वाली है। अस्कोट के लोग अपने रोजगार और स्थानीय विकास की गारंटी के लिए संघर्ष समिति के माध्यम से कंपनी के विरुद्ध निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और कंपनी को दबाव में लेने की रणनीति अपनाये हुए हैं।

(सीएसई फेलोशिप के तहत किये गये शोध पर आधारित आलेख)